अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

संख्या 5/2018- केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 68(अ.).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, कच्चे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण या खनन के लिए लाइसैंस या पट्टा देकर की जाने वाली सेवाओं की अंत:राज्यीय आपूर्ति पर केन्द्रीय कर से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक यह प्रॉफिट पैट्रोलियम में केन्द्र सरकार के हिस्से, इसकी ओर से केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अनुबंध में यथा निर्धारित, के रूप में केन्द्र सरकार को भुगतान किए जाने वाले प्रतिफल पर लगाया जाता है।

[फा. सं.354/13/2018- टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 5/2018- Central Tax (Rate)

G.S.R.68(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-State supply of services by way of grant of license or lease to explore or mine petroleum crude or natural gas or both, from so much of the central tax as is leviable on the consideration paid to the Central Government in the form of Central Government's share of profit petroleum as defined in the contract entered into by the Central Government in this behalf.

[F. No.354/13/2018 -TRU]
RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

संख्या 1/2018- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 69(अ).—केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) तथा धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), धारा 6 की उप धारा (1), तथा धारा 20 के खंड (iii), एवं खंड (iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड II, भाग 3, उप भाग (I) में सा.का.नि. संख्या 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्न संशोधन करती है यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी में, -

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

क. मद (iv) में,